इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2292/1984

राम अवतार .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : पी.आर. पाल, प्रवीन कुमार, राजीव कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 76

03.07.2026 को सुरक्षित

06.08.2026 को पारित

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. यह अपील धारा 374(2) द.प्र.सं. के अंतर्गत अपीलार्थी राम औतार द्वारा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 183 वर्ष 1984 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम औतार) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21.08.1984 के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसमें उसे धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228-ए के अनुसार वर्तमान निर्णय में अभियोक्त्री का नाम उजागर और उल्लिखित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार निर्णय में उसे "पीड़िता एक्स" के रूप में संदर्भित किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

Translated Versionn. Not For legal Use.

3. सूचनादाता श्रीमती शांति देवी की एक मौखिक रिपोर्ट, जिसमें अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है, के आधार पर अभियोजन का प्रकरण यह है कि 24.11.1983 को सुबह लगभग 09:00 बजे उनकी 6 वर्षीय बेटी पीड़िता "एक्स" उनके घर के सामने सड़क पर खेल रही थी। सूचनादाता घर में खाना बना रही थी और उसका बेटा खाना खा रहा था। अभियुक्त राम औतार पीड़िता "एक्स" को बैठक के पीछे ले गया जहां 20-25 करब (चारे का बंडल) रखे हुए थे। वह पीड़िता "एक्स" को करब के अंदर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। वह चिल्लाई और उसकी चीख सुनकर, सूचनादाता घटनास्थल पर आई और अभियुक्त राम औतार को उसके साथ बलात्कार करते हुए देखा। उसकी चीख पर, उसका भाई दिनेश और दो व्यक्ति अर्थात् कैलासो और मटरू लाल भी पहुंचे और अभियुक्त को पीड़िता "एक्स" पर बलात्कार करते हुए देखा। पीड़िता "एक्स" के निजी अंग से खून बह रहा था। अभियुक्त भाग गया। उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए।

4. उक्त मौखिक रिपोर्ट 24.11.1983 को 13:15 बजे थाना कोतवाली, जिला फर्रुखाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 502 वर्ष 1983, धारा 376, 363 भा.द.सं. के अंतर्गत दर्ज की गई थी। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलेखों में प्रदर्श क-1 है।

5. संबंधित जी.डी. भी तैयार की गई जिसे अभिलेखों में प्रदर्श क-2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

6. पीड़िता "एक्स" का चिकित्सीय परीक्षण 24.11.1983 को शाम 06:30 बजे महिला अस्पताल, फर्रुखाबाद की चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनीता सैनी द्वारा किया गया था। डॉक्टर ने पीड़िता की ऊंचाई 43 इंच, वजन 15 किलोग्राम और दांत 6/6, 6/6 पाए। आंतरिक परीक्षण पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

"(i) दाएं जांघ के अंदरूनी हिस्से के ऊपरी भाग पर लेबिया मेजोरा से 5 सेमी नीचे, 1 सेमी लंबी रैखिक खरोंच। दिशा - अनुप्रस्थ। भूरे रंग की पपड़ी बननी शुरू हो गई है।

(ii) बाएं टखने के मध्य भाग पर खरोंच, आकार 3x2 सेमी, साफ करने पर खून बह रहा है।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

7. निजी अंगों के परीक्षण पर, डॉक्टर ने निम्न पाया:

"लेबिया मेजोरा और माइनोरा पर कोई चोट नहीं। पेरिनियम पर कोई चोट नहीं। निजी अंग पर जमा हुआ खून मौजूद है। साफ करने पर, योनि छिद्र से खून बह रहा है। खून के थक्के बाहर आ गए। योनि छिद्र पर कोई दृश्य चोट नहीं। हाइमन फटा हुआ है।"

8. शुक्राणुओं के लिए योनि स्मीयर (वैजाइनल स्मीयर) जिला अस्पताल भेजा गया और उसे कलाई और कोहनी के जोड़ के एक्स-रे के लिए संदर्भित किया गया। उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट अभिलेखों में प्रदर्श क-5 है। पीड़िता "एक्स" की एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई और डॉक्टर ने कलाई और कोहनी के जोड़ की एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राय दिया:

> "ह्यूमरस के मध्य और पार्श्व एपिकॉन्डाइल के लिए एपिफाइसिस मौजूद नहीं है। रेडियस के ऊपरी सिरे पर छोटा एपिफाइसिस मौजूद है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। रेडियस के निचले सिरे के लिए एपिफाइसिस मौजूद है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। अल्ना के ऊपरी और निचले सिरे के लिए एपिफाइसिस मौजूद नहीं है। पिसिफॉर्म हड्डी विकसित नहीं हुई है।"
>
> उक्त रिपोर्ट अभिलेखों में प्रदर्श क-4 है।

9. अभियुक्त को हवालात में रखने के संबंध में 25.11.1983 को 08:20 बजे सुबह जी.डी. संख्या 18 तैयार की गई। यह अभिलेखों में प्रदर्श क-3 है।

10. घटनास्थल का नक्शा-नजरी 27.11.1983 को तैयार किया गया था। यह अभिलेखों में प्रदर्श क-6 है।

11. विवेचना संपन्न हुई और अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 503 दिनांक 02.12.1983 दाखिल किया गया। यह अभिलेखों में प्रदर्श क-7 है।

12. कलाई और कोहनी की एक्स-रे प्लेट को अभिलेखों में प्रदर्श 1 के रूप में सिद्ध किया गया।

Translated Version. Not For legal Use

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

13.द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.1984 के माध्यम से अभियुक्त अपीलार्थी राम औतार के विरुद्ध धारा 363, 376 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए, जिसे अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया गया, जिसने अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग किया

14.यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि बचाव पक्ष ने धारा 292 द.प्र.सं. के अंतर्गत कुछ दस्तावेजों के निष्पादन को स्वीकार किया, उक्त दस्तावेज इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	**दस्तावेज की प्रकृति**	**प्रदर्श संख्या**
i.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क-1
ii.	संबंधित जी.डी. संख्या 28 दिनांक 24.11.1983 समय 13:15 बजे, थाना कोतवाली, जिला फर्रुखाबाद।	प्रदर्श क-10
iii.	जी.डी. संख्या 18 दिनांक 25.11.1983 समय 08:20 बजे सुबह तैयार की गई।	प्रदर्श क-3
iv.	एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 01.12.1983	प्रदर्श क-4
v.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24.11.1983	प्रदर्श क-5

15.अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को सिद्ध करने के लिए पी.डब्ल्यू.-1 श्रीमती शांति देवी जो पीड़िता "एक्स" की माता और प्रथम सूचनादाता हैं, पी.डब्ल्यू.-2 पीड़िता "एक्स", पी.डब्ल्यू.-3 दिनेश जो पीड़िता "एक्स" का भाई और प्रथम सूचनादाता का पुत्र है, पी.डब्ल्यू.-4 डॉ. के.के. जगतियानी जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, पी.डब्ल्यू.-5 डॉ. अनीता सैनी जिन्होंने पीड़िता "एक्स" का चिकित्सीय परीक्षण किया, पी.डब्ल्यू.-6 कृपाल कुरील जो मामले के विवेचना अधिकारी हैं और पी.डब्ल्यू.-7 कांस्टेबल वीरेंद्र पाल शर्मा जिन्होंने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी, को प्रस्तुत और परीक्षित किया।

Translated Version. Not For legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

16.पी.डब्ल्यू.-1 श्रीमती शांति देवी वाद की प्रथम सूचनादाता और पीड़िता "एक्स" की माता हैं। वह कहती हैं कि घटना के दिन सुबह लगभग 09:00 बजे उनकी 6 वर्षीय बेटी पीड़िता "एक्स" उनके दरवाजे के सामने खेल रही थी। वह घर में काम कर रही थीं। उनका बेटा दिनेश खाना खा रहा था। उन्होंने अपनी बेटी की चीख सुनी जिस पर वह और उनका बेटा घर से बाहर आए और तब पाया कि चीख संग्राम की बैठक के पीछे से आ रही है। दोनों वहां गए और पाया कि करब अंदर रखा था जिसमें अभियुक्त राम औतार उनकी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था। उन्होंने अभियुक्त को ललकारा। वह भाग गया। उसे पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका। घटना को रमा की बहू कैलासो और मटरू लाल ने देखा जो वहां आए थे। दोनों व्यक्ति अब अभियुक्त के साथ मिल गए हैं और इस प्रकार साक्ष्य देने के इच्छुक नहीं हैं। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा, तो उसके कपड़े खून से सने थे। उन्होंने अभियुक्त को अपनी बेटी पर बलात्कार करते हुए देखा। उन्होंने अभियुक्त को अपनी बेटी के निजी अंग में अपना अंग डालते हुए और बलात्कार करते हुए देखा। उनकी बेटी के निजी अंग से खून बह रहा था। तब वह अपनी बेटी को कोतवाली, फर्रुखाबाद ले गईं जहां उन्होंने मौखिक रिपोर्ट दी। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह लिखा गया और उनके अंगूठे का निशान लगवाने के बाद उसकी एक प्रति उन्हें दी गई। फिर उन्हें एक पुलिस कांस्टेबल के साथ अस्पताल भेजा गया जहां उनकी बेटी का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। फिर उन्हें फतेहगढ़ अस्पताल भेजा गया जहां उनकी बेटी को भर्ती कराया गया। तीसरे दिन अस्पताल में विवेचना अधिकारी द्वारा उनसे पूछताछ की गई।

अपनी जिरह में वह कहती हैं कि यह गलत है कि विवेचना अधिकारी ने चौथे दिन उनका बयान लिया। उनके गांव में कुर्मी प्रभावशाली लोग हैं। वह कहती हैं कि यह गलत है कि उनके पति की मृत्यु के बाद वे उनकी मदद करते थे। राकेश कुर्मी उनके गांव में रहता है और उसके घर पुलिस वाले आते थे। अभियुक्त नाई है और भोलेपुर में उसकी सिलाई की दुकान है। यह गलत है कि अभियुक्त ने गांव में एक पक्का घर बनवाया है। यह गलत है कि राकेश की अभियुक्त से दुश्मनी है। राकेश उनके साथ कोतवाली गया था। वह अनपढ़ हैं। वह 24.11.1983 नहीं जानती हैं। उन्होंने रिपोर्ट के लिए अपना मौखिक

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

संस्करण दिया था लेकिन 24.11.1983 नहीं बताया था। राकेश ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो उन्होंने उसे बताई थी। उनकी बेटी की हालत खराब थी और इसलिए वह तुरंत पुलिस स्टेशन गईं। पुलिस स्टेशन उनके स्थान से लगभग 1-डेढ़ मील दूर है। वहां पहुंचने में आधा घंटा लगा। वह सुबह लगभग 09:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचीं। रिपोर्ट लगभग 1-डेढ़ घंटे में दर्ज की गई। रिपोर्ट मिलने के बाद वह अस्पताल के लिए गईं। उनकी बेटी की हालत अच्छी नहीं थी। वह पुलिस स्टेशन में नहीं रुकीं। फिर वह 13:15 बजे पुलिस स्टेशन वापस आईं और 15-20 मिनट वहां रुकीं। संग्राम की बैठक के पूर्व में एक सड़क है, जो भोलेपुर और फतेहगढ़ जाती है। सड़क बैठक से सटी हुई है। सड़क हमेशा व्यस्त रहती है। बैठक से 15-20 कदम बाद गांव की आबादी शुरू हो जाती है। बैठक के पूर्व में करब खाली है। करब में 20-25 बंडल रखे थे। बैठक संग्राम सिंह की थी। बंडल पूर्वी दीवार पर रखे थे। दीवार लगभग 15-20 कदम लंबी है और उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। उनका घर संग्राम की बैठक से 5-6 कदम दूर स्थित है। उनका बेटा मजदूर है और उस दिन घर पर था अन्यथा वह सुबह 5-6 बजे काम पर जाता था। उसने अभियुक्त को उनकी बेटी को ले जाते हुए नहीं देखा। आवाज सुनकर वह तुरंत घर से बाहर आ गईं। अभियुक्त लड़की के साथ दीवार के बीच में था। अभियुक्त की साइकिल और जूते वहां नहीं थे। अभियुक्त अन्यथा सुबह 7-8 बजे अपनी दुकान जाता था। उनके बाद मटरू और कैलासो घटनास्थल पर आए और वहां पहले से मौजूद नहीं थे। उन्होंने उनसे घटना के बारे में पूछा और तब उन्होंने उन्हें इसके बारे में बताया। उन्होंने अभियुक्त के साथ साठगांठ कर ली है और साक्ष्य देने से इनकार कर दिया है। घटना के समय पीड़िता "एक्स" ने पायजामा और टी-शर्ट पहनी हुई थी। दोनों कपड़े फटे हुए थे। पीड़िता "एक्स" बेहोश हो गई थी और उसे अस्पताल में होश आया। यह कहना गलत है कि खेलते समय उनकी बेटी को लकड़ी से चोट लग गई, जिसके कारण उसे चोट आई। यह भी गलत है कि वह किसी के कहने पर झूठा बयान दे रही हैं।

17.पी.डब्ल्यू.-2 पीड़िता "एक्स" को लगभग 7-8 वर्ष की आयु का दर्ज किया गया है। उसका बयान 19.07.1984 को दर्ज किया गया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उससे कुछ प्रश्न पूछे थे और दर्ज किया था कि वह प्रश्नों को समझती है और उत्तर देने में सक्षम है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

उसने न्यायालय में अभियुक्त की पहचान किया। वह कहती है कि वह सुबह लगभग 09:00 बजे अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी। राम औतार ने उसे पकड़ लिया और संग्राम की बैठक के पीछे करब में ले गया जो खाली था। उसने उस समय उसका मुंह बंद कर दिया था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया था और करब में ले गया था। उसने अपना अंग उसके निजी अंग में डाला जिसके बाद वह चिल्लाई और रोई। उसे खून बह रहा था। उसके कपड़े खून से सन गए। वहां कोई नहीं आया। उसकी मां उसे कोतवाली ले गई। कोतवाली से वह अपनी मां और भाई के साथ अस्पताल गई।

अपनी जिरह में, वह कहती है कि वह और उसकी मां एक दिन पहले जिला न्यायालय आई थीं। वे पूरे दिन वहां रहीं और फिर शाम को घर वापस चली गईं। पुलिस कांस्टेबल ने उनसे कहा था कि उनका बयान और उनकी मां का बयान दर्ज नहीं किया जाएगा। सुबह, वे सरकारी अधिवक्ता के स्थान पर आईं। उसे सुबह से ही बयान बताया गया है। वह पुलिस कांस्टेबलों से डरती है। वह राकेश को जानती है जो उसके साथ कोतवाली गया था। उसके भाई को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था जो छपाई का काम करता है और उस दिन काम पर नहीं गया था। उसकी मां ने पूछा था कि क्या हुआ है लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कोतवाली में घटना के बारे में बताया। राकेश ने रास्ते में उसे बताया कि क्या कहना है। राकेश ने अभियुक्त का नाम बताया था। वह कहती है कि यह कहना गलत है कि उसके निजी अंग में लकड़ी से चोट लगी थी जिसके कारण खून बह रहा था। वह कहती है कि घटना के आधे घंटे बाद सूर्योदय हुआ था।

18. पी.डब्ल्यू.-3 दिनेश पीड़िता "एक्स" का भाई है। वह कहता है कि वह घर में खाना खा रहा था और उसकी मां वहां काम कर रही थी। उसकी बहन पीड़िता "एक्स" घर के बाहर सामने खेल रही थी। उसने उसकी चीख सुनी और फिर वह और उसकी मां घर से बाहर आए। चीख संग्राम के कमरे के पीछे से आ रही थी। दोनों व्यक्ति वहां गए। उन्होंने देखा कि अभियुक्त राम औतार अपीलार्थी उसकी बहन के साथ बलात्कार कर रहा था। उसके चिल्लाने पर, अभियुक्त पूर्व की ओर भाग गया। उसकी बहन की हालत गंभीर थी और उसके निजी अंग से खून बह रहा था। उसकी मां उसे कोतवाली फर्रुखाबाद ले गई। वह घर पर ही रहा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अपनी जिरह में, उसने कहा कि उसे कोई संदेह नहीं था कि राम औतार एक छोटी लड़की के साथ ऐसा कृत्य करेगा। वह कहता है कि खून देखकर वह समझ सकता था कि उसने उसके साथ बलात्कार किया है। वह आगे कहता है कि वह नहीं बता सकता कि उसने अपना रात का खाना पहले क्यों खा लिया था। वह प्रतिदिन सुबह लगभग 6-7 बजे काम पर जाता है। वह यह कारण नहीं बता सकता कि वह उस दिन काम पर क्यों नहीं गया। उसकी मां उसकी बहन को पुलिस स्टेशन ले गई और वह घर पर रहा। उसकी मां के साथ कोई और नहीं गया। पीड़िता "एक्स" बेहोश नहीं हुई। वे रिक्शे से गए। उन्होंने सड़क से रिक्शा लिया। वह बाद में भी पुलिस स्टेशन नहीं गया। 2-3 दिन बाद उससे पूछताछ की गई। उसने घटना के बारे में विवेचना अधिकारी को बताया और किसी को नहीं। उनके घटनास्थल पर पहुंचने के दो मिनट बाद मटरू और कैलासो पहुंचे। उसने लगभग आधा मील तक राम औतार का पीछा किया और जब वह वापस लौटा तो उसकी मां और बहन वहां थे। वह नहीं जानता कि राम औतार पैदल भागा या साइकिल से गया। वह कहता है कि यह कहना गलत है कि उसने घटना नहीं देखी और उसे कारखाने से पुलिस स्टेशन कोतवाली बुलाया गया था।

19.डॉ. के. के. जगतियानी पी.डब्ल्यू.-4 जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद के रेडियोलॉजिस्ट हैं। 01.12.1983 को उन्होंने पीड़िता "एक्स" का एक्स-रे परीक्षण किया और इसकी एक रिपोर्ट तैयार की। इसका विवरण ऊपर पहले ही बताया जा चुका है। उन्होंने एक्स-रे रिपोर्ट को प्रदर्श क-4 के रूप में सिद्ध किया और उनके द्वारा एक्स-रे प्लेट दाखिल की गई जिसे प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया। वह कहते हैं कि हड्डियों की स्थिति को देखते हुए पीड़िता "एक्स" की आयु लगभग 6 वर्ष थी। उक्त गवाह से कोई जिरह नहीं की गई।

20.श्रीमती (डॉ.) अनीता सैनी पी.डब्ल्यू.-5 24.11.1983 को चिकित्सा अधिकारी, महिला अस्पताल के पद पर तैनात थीं। उन्होंने शाम लगभग 06:30 बजे पीड़िता "एक्स" का परीक्षण किया, जिसे पुलिस कांस्टेबल द्वारा लाया गया था। उन्होंने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट तैयार की। इसका विवरण ऊपर पहले ही बताया जा चुका है। उन्होंने इसे प्रदर्श क-5 के रूप में सिद्ध किया। वह कहती हैं कि पीड़िता "एक्स" को देखकर वह लगभग 6 वर्ष की आयु की प्रतीत हो रही थी। वह आगे कहती हैं कि रिपोर्ट के अनुसार उनकी राय में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

पीड़िता "एक्स" के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया था क्योंकि हाइमन फटा हुआ था और खून बह रहा था। वह आगे कहती हैं कि यह संभव है कि उसके साथ यौन हमला किया गया हो।

अपनी जिरह में, वह कहती हैं कि एक पपड़ी अपने समय के अनुसार अपना रंग बदलती है और चोट लगभग 10 घंटे के बाद पपड़ी के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाती है जिसके बाद लगभग 6 घंटे बाद यह भूरा रंग लेना शुरू कर देती है। चोटें लगभग 6-8 घंटे पुरानी थीं और यह कहना गलत है कि यह लगभग 16 घंटे पुरानी थीं। रैखिक खरोंच तेज धार वाले हथियार से होती है, न कि कुंद वस्तु से। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अवधि और राय नहीं दी। वह अपनी रिपोर्टों में अवधि नहीं देती हैं। उन्हें एक्स-रे रिपोर्ट और स्मीयर रिपोर्ट नहीं मिली और इस प्रकार उन्होंने कोई पूरक रिपोर्ट नहीं दी। योनि स्मीयर केवल शुक्राणुओं की जांच के लिए लिया जाता है। 15 मिनट में भी खून का थक्का जम सकता है। उनकी राय में यदि कोई लड़की नीचे गिर जाती है तो इस प्रकृति की चोट का होना संभव नहीं है या बहुत कम संभव है।

21.कृपाल कुरील पी.डब्ल्यू.-6 प्रकरण के विवेचना अधिकारी हैं। उन्होंने विवेचना का जिम्मा लिया और घटना का नक्शा-नजरी तैयार किया तथा केस डायरी दर्ज की। नक्शा-नजरी को अभिलेखों में प्रदर्श क-6 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विवेचना संपन्न की और आरोप पत्र दाखिल किया। उनके द्वारा इसे प्रदर्श क-7 के रूप में सिद्ध किया गया।

अपनी जिरह में, वह कहते हैं कि पीड़िता "एक्स" का घर घटनास्थल से लगभग 100-150 कदम की दूरी पर स्थित है। फिर वह कहते हैं कि यह लगभग 50 कदम दूर था। दोनों स्थानों के बीच कोई दूसरा घर नहीं है। गवाह दिनेश ने कहा कि पहले उन्हें राम औतार पर किसी छोटी लड़की के साथ ऐसी घटना करने का संदेह नहीं था।

22.कांस्टेबल वीरेंद्र पाल शर्मा का पी.डब्ल्यू.-7 के रूप में परीक्षण किया गया। वह कहते हैं कि 24.11.1983 को वह थाना आई.टी.आई. में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वह पीड़िता "एक्स" को एक्स-रे परीक्षण के लिए फतेहगढ़ अस्पताल ले गए। महिला अस्पताल, फर्रुखाबाद में उनके सामने उसके कपड़े सील किए गए थे जिसे उनके द्वारा लाया गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

और पुलिस स्टेशन में रखा गया। जब उनके सामने खोला गया तो उन्होंने इसकी पहचान की। उन्हें अभिलेखों में प्रदर्श 2 के रूप में चिह्नित किया गया। उक्त गवाह की कोई जिरह नहीं की गई।

23.धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने बयान में अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के संस्करण से इनकार किया और कहा कि उसे दुश्मनी के कारण वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। वह कहता है कि राकेश कटियार ने उससे अपने कपड़े सिलवाए थे और इसके लिए पैसे नहीं दिए और जब उसने पैसे मांगे तो उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दिया। वह कहता है कि वह कोई बचाव साक्ष्य नहीं देना चाहता है।

24.इसके बाद विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया।

25.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीन कुमार, राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री बड़े लाल बिंद को सुना गया और अभिलेखों का परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय के अभिलेख भी वर्तमान अपील के साथ संलग्न हैं, जिनका भी परिशीलन किया गया है।

26.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता "एक्स" के निजी अंग पर कोई चोट नहीं थी। डॉक्टर द्वारा पाई गई और चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में दर्ज की गई चोटें गिरने के कारण थीं और चोटों की प्रकृति किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाती है कि उसके साथ यौन हमला किया गया था। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्ल्यू.-1 श्रीमती शांति देवी, पी.डब्ल्यू.-2 पीड़िता "एक्स" और पी.डब्ल्यू.-3 दिनेश जो पीड़िता "एक्स" का भाई और सूचनादाता/पी.डब्ल्यू.-1 (मूल में पी.डब्ल्यू.-2 लिखा है, इसे पी.डब्ल्यू.-1 समझा जाए) का पुत्र है, के बयानों में गंभीर विरोधाभास हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्ल्यू.-3 का आचरण बहुत अनुचित है, क्योंकि अपनी बहन के साथ बलात्कार होते हुए देखने के बाद भी वह अपनी मां और बहन के साथ पुलिस स्टेशन नहीं गया बल्कि घर पर ही रहा। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि तथ्य यह है कि पी.डब्ल्यू.-3 घर पर उपस्थित था, यह भी उचित रूप से न्यायोचित नहीं है क्योंकि वह प्रतिदिन सुबह काम पर जाता था लेकिन उस दिन बिना किसी कारण के वह घर पर रुक गया। यह आगे प्रस्तुत

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

किया गया है कि पीड़िता "एक्स" पी.डब्ल्यू.-2 अपनी जिरह में कहती है कि सरकारी अधिवक्ता उसे सुबह से बता रहे थे कि क्या बयान देना है। वह आगे कहती है कि वह राकेश को जानती है, जो उसके साथ थाने गया था, जिसे पुलिस ने बुलाया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि राकेश वह व्यक्ति है, जिससे अपीलार्थी की दुश्मनी है जैसा कि उसने धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने बयान में कहा है और इस प्रकार राकेश वह मुख्य व्यक्ति था जिसके कारण वर्तमान झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता "एक्स" ने आगे अपनी जिरह में कहा कि राकेश ने उसे सिखाया है कि क्या कहना है और अभियुक्त का नाम भी बताया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए वर्तमान घटना के घटित होने का समय लगभग 9:00 बजे सुबह भी गलत और झूठा है क्योंकि पीड़िता "एक्स" ने कहा था कि घटना के लगभग आधे घंटे बाद सूर्योदय हुआ था और इस प्रकार उस समय अंधेरा रहा होगा क्योंकि यह नवंबर महीने का अंत है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्ल्यू.-2 की गवाही को देखते हुए, अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो जाती है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यहां तक कि प्रथम सूचनादाता और पीड़िता "एक्स" की माता पी.डब्ल्यू.-1 श्रीमती शांति देवी का बयान यह दिखाने के लिए है कि अपनी जिरह में वह कहती हैं कि राकेश की अभियुक्त अपीलार्थी से दुश्मनी है और राकेश ने घटना को उसके द्वारा राकेश को बताए जाने के बाद थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार अभियोजन की कहानी झूठी हो जाती है और स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इसे राकेश द्वारा गढ़ा गया है जिसने अभियुक्त अपीलार्थी को झूठा फंसाया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार वर्तमान अपील स्वीकार की जाए।

27. राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने इसके विपरीत अभिवेदनों और अपील का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है जो उसी दिन दर्ज की गई एक त्वरित रिपोर्ट है। पी.डब्ल्यू.-1 शांति देवी और पी.डब्ल्यू.-3 दिनेश उसका पुत्र घटना के चश्मदीद गवाह हैं। न्यायालय में बयान दर्ज करते समय दिनेश की आयु लगभग 15 वर्ष थी। दोनों गवाह अभियोजन की कहानी का समर्थन करते हैं और पी.डब्ल्यू.-2 पीड़िता "एक्स" द्वारा दिए गए संस्करण का भी समर्थन करते हैं। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अभियोजन की कहानी की पुष्टि करती है। डॉक्टर ने हाइमन को फटा हुआ पाया जिससे खून बह रहा था। यह निर्णायक रूप से दर्शाता है कि पीड़िता "एक्स" पर यौन हमला किया गया था। पीड़िता "एक्स" लगभग 6 वर्ष की एक नाबालिग लड़की है। यह दिखाने के लिए कोई कारण सामने नहीं आ रहा है कि पीड़िता "एक्स" अभियुक्त अपीलार्थी को झूठा क्यों फंसाएगी। पीड़िता "एक्स" का चिकित्सीय परीक्षण अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन करता है। पी.डब्ल्यू.-5, डॉक्टर जिन्होंने पीड़िता "एक्स" का चिकित्सीय परीक्षण किया, की गवाही भी यह दिखाने के लिए है कि उसमें राय पीड़िता "एक्स" पर यौन हमले की है। इस प्रकार यह दिखाने के लिए जाता है कि अभियोजन पक्ष अपने वाद में युक्तियुक्त संदेह से परे सफल रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार अपील में कोई गुण-दोष नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

28.पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है। पीड़िता "एक्स" ने पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में परीक्षित होते हुए अभियुक्त अपीलार्थी की पहचान की और उसका नाम उस व्यक्ति के रूप में लिया जिसने उसके साथ बलात्कार किया। वर्तमान वाद में दो चश्मदीद गवाह हैं, जो पी.डब्ल्यू.-1 श्रीमती शांति देवी और पी.डब्ल्यू.-3 दिनेश हैं। यद्यपि दोनों व्यक्ति क्रमशः उसकी माता और भाई होने के नाते पीड़िता "एक्स" के परिवार के सदस्य हैं, लेकिन स्वाभाविक गवाह हैं। घटनास्थल सूचनादाता के घर के बहुत करीब है। उक्त दोनों गवाहों ने अपीलार्थी को पीड़िता "एक्स" पर यौन हमला करते हुए देखा है। पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा पीछा किए जाने पर अभियुक्त अपीलार्थी भाग गया। जहां तक पीड़िता "एक्स" की गवाही का संबंध है, वह अभियुक्त और उस पर यौन हमले के संबंध में बिना किसी विरोधाभास या त्रुटि के है जो सुसंगत है और विश्वास जगाती है। वर्तमान वाद जैसे वाद में पीड़िता "एक्स" की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। **महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन : (1990) 1 एस.सी.सी. 550** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तर 16 में ऐसा ही अभिनिर्धारित किया गया है, जिसे यहां उद्धृत किया गया है:

> "16. यौन अपराध की अभियोक्त्री को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम कहीं नहीं कहता है कि

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि तात्विक विवरणों में इसकी पुष्टि न हो जाए। वह निस्संदेह धारा 118 के अंतर्गत एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को वही महत्व मिलना चाहिए, जो शारीरिक हिंसा के मामलों में किसी घायल को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उसी स्तर की सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जैसी कि घायल परिवादी या गवाह के मामले में बरती जाती है और उससे अधिक नहीं। जो आवश्यक है, वह यह है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत और जागरूक होना चाहिए कि वह उस व्यक्ति के साक्ष्य से निपट रहा है, जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्य कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान विधि या व्यवहार का कोई नियम शामिल नहीं है जिसके लिए उसे पुष्टि की तलाश करने की आवश्यकता है। यदि किसी कारण से न्यायालय अभियोक्त्री की गवाही पर पूर्ण भरोसा करने में संकोच करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम उसकी गवाही को आश्वासन दे सके। अभियोक्त्री की गवाही को आश्वासन देने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति आवश्यक रूप से प्रत्येक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई अभियोक्त्री एक वयस्क है और पूरी तरह से समझदार है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य पर दोषसिद्धि को आधारित करने का हकदार है जब तक कि उसे दुर्बल और अविश्वसनीय न दिखाया जाए। यदि वाद के अभिलेख पर दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई मजबूत उद्देश्य नहीं है, तो न्यायालय को आम तौर पर उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि आम तौर पर एक अभियोक्त्री जिसके पास समझ की कमी नहीं है, के साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए। आवश्यक प्रमाण की डिग्री घायल गवाह से अपेक्षित डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त कारणों

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

से हमें लगता है कि उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर अपवाद सही रूप से लिया गया है जैसा कि निम्नलिखित अंश में परिलक्षित होता है:

'यह केवल दुर्लभतम वादों में होता है यदि न्यायालय पाता है कि अभियोक्त्री की गवाही इतनी भरोसेमंद, सच्ची और विश्वसनीय है कि अन्य पुष्टि आवश्यक नहीं हो सकती है।'

सम्मान के साथ, विधि को सही ढंग से नहीं बताया गया है। यदि हम ऐसा कह सकें, तो यह बिल्कुल उल्टा है। आम तौर पर एक अभियोक्त्री के साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए, जो एक घायल व्यक्ति को दिया जाता है जो हिंसा का शिकार है, जब तक कि विशेष परिस्थितियां न हों जो अधिक सावधानी की मांग करती हों, जिस स्थिति में उसकी गवाही पर कार्य करना सुरक्षित होगा यदि स्वतंत्र साक्ष्य है जो उसके आरोप को आश्वासन देता है।"

(बल दिया गया)

29.अभियुक्त अपीलार्थी से राकेश की दुश्मनी होने के संबंध में दलील का वर्तमान मामले में कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि राकेश को किसी भी तरह से प्रथम सूचनादाता से संबंधित नहीं दिखाया गया है। चिकित्सीय परीक्षण अभियोजन पक्ष के संस्करण की पूरी तरह से पुष्टि करता है। डॉ. अनीता मैनी, पी.डब्ल्यू.-5 जिन्होंने पीड़िता "एक्स" का चिकित्सीय परीक्षण किया था, अपने बयान में पीड़िता "एक्स" के यौन हमले के बारे में भी बताती हैं।

30.सर्वोच्च न्यायालय ने **राजस्थान राज्य बनाम चतरा : (2025) 8 एस.सी.सी. 613** के वाद में बाल बलात्कार के मामलों में बाल-पीड़ित के साक्ष्य में ध्यान में रखे जाने वाले आवश्यक सिद्धांतों को दोहराया है। यह भी अभिनिर्धारित और दोहराया गया है कि बाल बलात्कार के मामलों में, न्यायालयों को ऐसे मामलों में अधिक दायित्वपूर्ण होने की आवश्यकता है। प्रस्तर 14 से 22 इस प्रकार हैं:

"**14**. आइए अब हम यौन हमले के बाल पीड़ित से जुड़े मामलों में इस न्यायालय की घोषणाओं पर विचार करें। *राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश [राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश, (2002) 5 एस.सी.सी. 745 : 2002 एस.सी.सी. (आपराधिक)*

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

1210] में इस न्यायालय ने बच्चों के विरुद्ध यौन प्रकृति के अपराधों के विरुद्ध निम्नलिखित शब्दों में चेतावनी दिया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 755, प्रस्तर 19)

'19. बाल बलात्कार के मामले यौन सुख के लिए विकृत कामुकता के मामले हैं जहां यौन सुख की खोज में निर्दोष बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। इससे ज्यादा अश्लील कुछ नहीं हो सकता। यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। इससे जुड़े सामाजिक कलंक के कारण ऐसे कई मामले प्रकाश में भी नहीं आते हैं। कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार, बाल बलात्कार के मामलों में भारी वृद्धि हुई है। बच्चों को विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, इन बच्चों को उचित विधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालयों के कंधों पर जिम्मेदारी अधिक दायित्वपूर्ण हो जाती है। उनकी शारीरिक और मानसिक अक्षमता ऐसी सुरक्षा की मांग करती है। बच्चे हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन हैं। वे देश का भविष्य हैं। कल की उम्मीद उन पर टिकी है। हमारे देश में, एक बालिका बहुत कमजोर स्थिति में है और उसके शोषण के तरीकों में से एक बलात्कार है, इसके अलावा यौन शोषण के अन्य तरीके भी हैं। ये कारक अपनाए जाने वाले एक अलग दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं।'

15. कई मामलों में, इस न्यायालय के साथ-साथ अन्य न्यायालयों ने भी किसी मामले में बाल गवाह के बयान की प्रयोज्यता पर चर्चा की है। हम उनमें से कुछ पर ध्यान दे सकते हैं।

16. *दत्तु रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य [दत्तु रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 5 एस.सी.सी. 341 : 1997 एस.सी.सी. (आपराधिक) 685]* में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 343, प्रस्तर 5)

'5 ... एक बाल गवाह यदि तथ्यों की गवाही देने के लिए सक्षम पाया जाता है और विश्वसनीय है, तो ऐसा साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। दूसरे शब्दों में शपथ के अभाव में भी बाल गवाह के साक्ष्य पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा गवाह प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम हो। बाल गवाह का साक्ष्य और उसकी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

विश्वसनीयता प्रत्येक वाद की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। एक बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय न्यायालय को केवल यह सावधानी बरतनी चाहिए कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए और उसका आचरण किसी अन्य सक्षम गवाह की तरह होना चाहिए और रटे-रटाए होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए।'

17. *हरि ओम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [हरि ओम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 4 एस.सी.सी. 345 : (2021) 2 एस.सी.सी. (आपराधिक) 440]* में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने *सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य [सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य, (2001) 9 एस.सी.सी. 129 : 2002 एस.सी.सी. (आपराधिक) 413]* में इस न्यायालय द्वारा बरती गई सावधानी को दोहराया, कि "*बाल गवाह की गवाही की पुष्टि कोई नियम नहीं है बल्कि सावधानी और विवेक का उपाय है"*। इसमें आगे यह भी टिप्पणी किया गया: (सूर्यनारायण वाद [सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य, (2001) 9 एस.सी.सी. 129 : 2002 एस.सी.सी. (*आपराधिक*) 413], एस.सी.सी. पृष्ठ 133, प्रस्तर 6-7)

'6. इस न्यायालय ने पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *[पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एस.सी.सी. 177 : 1998 एस.सी.सी. (आपराधिक) 1561]* में अभिनिर्धारित किया कि बाल गवाह के साक्ष्य का अधिक सावधानी से और अधिक सतर्कता के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा दूसरे लोग उससे जो कहते हैं, उससे प्रभावित होने के लिए अतिसंवेदनशील होता है और इस प्रकार रटे-रटाए होने का आसान शिकार होता है। बाल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले उसे पर्याप्त पुष्टि मिलनी चाहिए, क्योंकि पुष्टि का नियम विधि की तुलना में व्यावहारिक ज्ञान का है (देखिए *प्रकाश बनाम मध्य प्रदेश राज्य [प्रकाश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1992) 4 एस.सी.सी. 225 : 1992 एस.सी.सी. (आपराधिक) 853]; बेबी कंदायनाथिल बनाम केरल राज्य [बेबी कंदायनाथिल बनाम केरल राज्य, 1993 सप्ली (3) एस.सी.सी. 667 : 1993 एस.सी.सी. (आपराधिक) 1084]; राजा राम यादव बनाम बिहार राज्य [राजा राम यादव बनाम बिहार राज्य, (1996) 9 एस.सी.सी. 287 : 1996 एस.सी.सी.* (*आपराधिक*) 1004] और *दत्तु रामराव सखारे*

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

बनाम महाराष्ट्र राज्य [दत्तु रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 5 एस.सी.सी. 341 : 1997 एस.सी.सी. (आपराधिक) 685])।

7. *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक दीक्षित [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक दीक्षित, (2000) 3 एस.सी.सी. 70 : 2000 एस.सी.सी. (आपराधिक) 579]* में दिया गया निर्णय भी इसी आशय का है।'

18. बाल गवाहों के संबंध में नियम अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1895 [*व्हीलर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका*, 1895 एस.सी.सी. ऑनलाइन यू.एस. एस.सी. 220 : 40 एल एड 244 : 159 यू.एस. 523 (1895)] में ही निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किया गया था: (*व्हीलर वाद [बेबी कंदायनाथिल बनाम केरल राज्य, 1993 सप्ली (3) एस.सी.सी. 667 : 1993 एस.सी.सी. (आपराधिक) 1084*], एस.सी.सी. ऑनलाइन यू.एस. एस.सी. प्रस्तर 5)

'5. ... जबकि कोई भी केवल दो या तीन वर्ष के शिशु को गवाह के रूप में बुलाने के बारे में नहीं सोचेगा, सक्षमता के प्रश्न को निर्धारित करने वाली कोई सटीक आयु नहीं है। यह बच्चे की क्षमता और बुद्धिमत्ता, सत्य और असत्य के बीच अंतर के प्रति उसकी समझ, साथ ही सत्य बताने के उसके कर्तव्य पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का निर्णय मुख्य रूप से विचारण न्यायाधीश पर निर्भर करता है, जो प्रस्तावित गवाह को देखता है, उसके तौर-तरीकों पर ध्यान देता है, उसकी स्पष्ट बुद्धिमत्ता या उसकी कमी पर ध्यान देता है, और किसी भी ऐसी परीक्षा का सहारा ले सकता है जो उसकी क्षमता और बुद्धिमत्ता के साथ-साथ शपथ के दायित्वों की उसकी समझ को प्रकट करने में प्रवृत्त हो। चूंकि इनमें से कई मामलों को अभिलेख में नहीं उतारा जा सकता है, इसलिए समीक्षा पर विचारण न्यायाधीश के निर्णय को तब तक परेशान नहीं किया जाएगा, जब तक कि जो कुछ भी संरक्षित है उससे यह स्पष्ट न हो कि यह त्रुटिपूर्ण था।'

(बल दिया गया)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

19. यौन हमले के बाल पीड़ित द्वारा दिए गए साक्ष्य की व्याख्या करने में, इस न्यायालय ने *हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार* [हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार, (2017) 2 एस.सी.सी. 51 : (2017) 1 एस.सी.सी. (*आपराधिक*) 648] में अभिनिर्धारित किया कि सामाजिक वास्तविकताओं पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायालय के लिए लिखते हुए न्यायमूर्ति सीकरी द्वारा यह टिप्पणी किया गया था कि: (एस.सी.सी. पृष्ठ 66-67, प्रस्तर 30)

'30. किसी भी तरह से, यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि जब भी बलात्कार का ऐसा आरोप लगाया जाता है, जहां पीड़िता एक बच्चा है, तो इसे एक अटल सत्य माना जाना चाहिए और आरोपित व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। हम पहले ही ऊपर उस तरीके पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें अभियोक्त्री की गवाही का परीक्षण और विश्लेषण किया जाना है ताकि उसमें सच्चाई का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़िता का बयान भरोसेमंद है। साथ ही, सभी आवश्यक सावधानियां बरतने के बाद, जब यह पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष का संस्करण विश्वास करने योग्य है, तो मामले को उन सभी संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाना चाहिए, जिसकी ऐसे मामलों में आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन की वास्तविकताओं का भी जायजा लेना होता है। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि ऐसे दुर्व्यवहार के 80% से अधिक मामलों में, अपराधियों की पीड़ितों के साथ जान-पहचान होती है जो अजनबी नहीं होते हैं। खतरा बाहर से ज्यादा अंदर है। अधिकांश समय, परिचितों द्वारा किए गए बलात्कार, जब अपराधी परिवार का ही कोई सदस्य होता है, विभिन्न कारणों से रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं, जिन्हें समझना मुश्किल नहीं है। उनमें सबसे मजबूत सामाजिक कलंक का डर है। एक और निवारक कारक जो कई बार ऐसे पीड़ितों या उनके परिवारों को शिकायत दर्ज करने से रोकता है, वह यह है कि वे पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया को अत्यंत भयभीत करने वाली पाते हैं, जिसके साथ पीड़ित सुरक्षा तंत्र का अभाव होता है। इसलिए, अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार लाए जाएं। समान रूप से, यौन हिंसा के

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

पीड़ितों, विशेषकर बच्चों के प्रति एक उत्तरजीवी-केंद्रित दृष्टिकोण रखने की भी सख्त आवश्यकता है, ऐसे पीड़ितों पर पड़ने वाले दर्दनाक दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए।'

20. *प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य [प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य, (2023) 19 एस.सी.सी. 221]* में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब किसी मामले में बाल गवाह शामिल होता है, तो विचारण न्यायाधीश की भूमिका बढ़ जाती है। न्यायालय ने दर्ज किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 226, प्रस्तर 13)

'13. किसी नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, यह न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है। न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए कि नाबालिग प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है और सत्य बोलने के महत्व को समझता है। इसलिए, साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे यह पता लगाने के लिए उचित प्रश्न पूछकर नाबालिग की उचित प्रारंभिक जांच करनी होगी कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। प्रारंभिक प्रश्नों और उत्तरों को दर्ज करना उचित है, ताकि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की राय की शुद्धता में जा सके।'

21. *सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य [सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य, (2001) 9 एस.सी.सी. 129 : 2002 एस.सी.सी. (आपराधिक) 413]* में जिसका संदर्भ *हरि ओम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [हरि ओम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 4 एस.सी.सी. 345 : (2021) 2 एस.सी.सी. (आपराधिक) 440]* में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया है: (*सूर्यनारायण वाद [सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य, (2001) 9 एस.सी.सी. 129* : 2002 एस.सी.सी. (आपराधिक) 413], एस.सी.सी. पृष्ठ 133, प्रस्तर 5)

'5. निस्संदेह, भव्या (पी.डब्ल्यू. 2), जो घटना के समय लगभग चार वर्ष की थी, एकमात्र चश्मदीद गवाह है जिसे सही रूप से शपथ नहीं दी गई थी। घटना का

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

समय और स्थान तथा प्रकरण की उपस्थित परिस्थितियां किसी अन्य व्यक्ति के चश्मदीद गवाह होने की कोई संभावना नहीं सुझाती हैं। बाल गवाह के साक्ष्य को स्वतः ही खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय को, विवेक के नियम के रूप में, ऐसे साक्ष्य पर बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है और कथनों की गुणवत्ता और इसकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होने पर ही, बाल गवाह के कथन को स्वीकार करके दोषसिद्धि का आधार बनाना चाहिए। पी.डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य को केवल कम आयु का होने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। पी.डब्ल्यू. 2 के बाल गवाह होने का तथ्य न्यायालय से उसके साक्ष्य की सावधानी और सतर्कता के साथ जांच करने की मांग करेगा। यदि वह जिरह की कसौटी पर खरी उतरती है और उसके साक्ष्य में कोई दुर्बलता नहीं है, तो अभियोजन पक्ष केवल उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का सही रूप से दावा कर सकता है। बाल गवाह की गवाही की पुष्टि कोई नियम नहीं है बल्कि सावधानी और विवेक का उपाय है। बाल गवाह के कथन में कुछ विसंगतियों को गवाही को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। गवाही में विसंगतियां, यदि तात्विक विवरणों में नहीं हैं, तो एक बाल गवाह की गवाही को विश्वसनीयता प्रदान करेंगी जो सामान्य परिस्थितियों में जो उसने देखा है उसे उसके साथ मिलाने की संभावना है जो उसे लगता है कि उसने देखा होगा। बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, न्यायालयों को बच्चे के रटे-रटाए होने की संभावना से इंकार करने की आवश्यकता होती है। अभियोजन पक्ष के गुप्त उद्देश्यों के लिए बाल गवाह को रटाने या उसका उपयोग करने के संबंध में किसी आरोप के अभाव में, न्यायालयों के पास अभियुक्त को दोषी ठहराने या न ठहराने के प्रयोजनों के लिए ऐसे गवाह की विश्वास जगाने वाली गवाही पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।'

(बल दिया गया)

22. हाल ही में, *मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह [मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह, (2025) 8 एस.सी.सी. 545]* में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला के माध्यम से बोलते हुए, बाल गवाह के साक्ष्य के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय के बड़ी संख्या में पूर्व निर्णयों पर विचार किया। हमने उनका परिशीलन किया *है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमेश [मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमेश, (2011) 4 एस.सी.सी. 786 : (2011) 2 एस.सी.सी. (आपराधिक) 493]; पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एस.सी.सी. 177 : 1998 एस.सी.सी. (आपराधिक) 1561]; और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक दीक्षित [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक दीक्षित, (2000) 3 एस.सी.सी. 70 : 2000 एस.सी.सी. (आपराधिक)* 579], आदि में अन्य निर्णयों का भी संदर्भ दिया जा सकता है।"

31. **शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य : (2018) 18 एस.सी.सी. 34** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बलात्कार के मामलों में न्यायालयों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। प्रस्तर 6 और 7 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

> **"6.** हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि बलात्कार के आरोपों पर किसी अभियुक्त का विचारण करते समय न्यायालयों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए। न्यायालयों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्त्री के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए घातक प्रकृति के नहीं हैं। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास जगाता है, तो तात्विक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि मांगे बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसकी गवाही पर पूर्ण भरोसा करना कठिन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है, जो सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम उसकी गवाही को आश्वासन दे सके। अभियोक्त्री की गवाही की सराहना पूरे मामले की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए और यौन उत्पीड़न या यौन हमलों से जुड़े मामलों से निपटते समय न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। [देखिए *पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह [पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह,*

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

(1996) 2 एस.सी.सी. 384 : 1996 एस.सी.सी. (आपराधिक) 316] (एस.सी.सी. पृष्ठ 403, प्रस्तर 21)।]

7. अब तक यह भी सुस्थापित हो चुका है कि साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में, कोई भी आत्म-सम्मान वाली महिला केवल अपने सम्मान के विरुद्ध ऐसा अपमानजनक बयान देने के लिए न्यायालय में आगे नहीं आएगी जैसा कि उस पर बलात्कार के कृत्य में शामिल है। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, कथित विचार जिनका अभियोजन मामले की सत्यता पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है या यहां तक कि अभियोक्त्री के बयान में विसंगतियां, जब तक कि विसंगतियां ऐसी न हों जो घातक प्रकृति की हों, उन्हें अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महिलाओं का अंतर्निहित संकोच और यौन आक्रामकता के अपमान को छिपाने की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं, जिन्हें न्यायालयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक कि ऐसे मजबूर करने वाले कारण न हों जो उसके बयान की पुष्टि की तलाश करना आवश्यक बनाते हों, न्यायालयों को किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए केवल यौन हमले की पीड़िता की गवाही पर कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही विश्वास जगाती है और विश्वसनीय पाई जाती है। ऐसे मामलों में नियम के रूप में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि मांगना जले पर नमक छिड़कने के समान है। (देखिए *रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य* [*रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य*, (1998) 8 एस.सी.सी. 635 : 1998 एस.सी.सी. (आपराधिक) 1725]।)"

32.इसके दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। इस प्रकार अपील विफल होती है और **खारिज** की जाती है।

33.अपीलार्थी जमानत पर है। उसे संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा दी गई शेष सजा काटने के लिए तत्काल हिरासत में लिया जाएगा।

34.लंबित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हों, का निस्तारण किया जाता है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

35.अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेखों के साथ सीजेएम, फर्रुखाबाद को प्रेषित की जाए।

36.संबंधित सीजेएम द्वारा इस न्यायालय को 30 दिनों के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति श्रीमती समित गोपाल)

06 अगस्त, 2026

एम. आरिफ

Translated Versionn. Not For legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"